हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 फरवरी, 2010

संख्या का० आ० 31/ह० अ० 6/2008/घा० 19/2010.—हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 6), की धारा 19 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण नियम, 2008 में, नियम 3 में, उप-नियम (3) में खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(गक) यदि भारत में किसी भारतीय नागरिक का विवाह विदेशी अधिवास के किसी व्यक्ति से अनुष्ठापित किया गया है, तो रिजस्ट्रार उस देश जिसका वह नागरिक के रूप में दावा करता है, के दूतावास से उसके अधिवास को सत्यापित करेगा । "।

कृष्ण मोहन, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 3rd February, 2010

No. S.O. 31/H.A. 6/2008/S. 19/2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 19 of the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008 (6 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend in the Haryana Compulsory Registration of Marriages Rule, 2008, namely:—

- These rules may be called the Haryana Compulsory Registration of Marriages Amendment Rule, 2010.
- 2. In the Haryana Compulsory Registration of Marriages Rule, 2008, in rule 3, in sub-rule (3), after clause (C), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(ca) In case of marriage of any Indian Citizen solemnized in India with a person of foreign domicile the Registrar shall verify his domicile from the embassy of the country of which he claims to be citizen.".

KRISHNA MOHAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Home Department.